उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
आ दे श

क्रमांक ....**बी / 4527**........... /   जबलपुर, दिनाँक **19** सितम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

(ए) जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक–(2) में दर्शाये गये वरिष्ठ निज सहायक की पदोन्नति **प्रशासनिक अधिकारी** के पद पर, सातवें वेतनमान के अंतर्गत लेवल–12 के वेतनमान रुपये 56,100–1,77,500 में की जाकर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है।

क्र.	**वरिष्ठ निज सहायक का नाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**	**विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	श्री महेन्द्र कुमार आचार्य	मंदसौर	सिंगरौली	रिक्त पद पर।

(बी) जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये कोर्ट मैनेजर को उसी हैसियत से स्थानान्तरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से पदस्थ किया जाता है।

क्र.	**कोर्ट मैनेजर का नाम**	**कहाँ से**	**कहाँ को**	**विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	श्री अमनप्रीत सिंह बग्गा	सागर	दतिया	श्री असद सिद्दिकी के स्थान पर
2	श्रीमती अन्नदा पद्मावत	उज्जैन	रीवा	श्री श्रीकांत नागर के स्थान पर

श्री अमनप्रीत सिंह बग्गा की सेवाओं को दतिया स्थापना पर स्थानान्तरण उपरांत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर **आसंजित (attach)** किया जाता है।

..2..

(सी) श्री श्रीकांत नागर, कोर्ट मैनेजर; न्यायिक जिला स्थापना, रीवा का उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर में किया गया आसंजन (attachment) समाप्त करते हुये, उन्हें न्यायिक जिला **सागर** की स्थापना पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(डी) श्री असद सिद्दिकी, कोर्ट मैनेजर; न्यायिक जिला स्थापना, दतिया का उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में किया गया आसंजन (attachment) समाप्त करते हुये, उन्हें न्यायिक जिला **अनूपपुर** की स्थापना पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(ई) श्रीमती भावना अग्रवाल, कोर्ट मैनेजर; न्यायिक जिला स्थापना, जबलपुर की सेवाओं को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर **आसंजित (attach)** किया जाता है।

(एफ) श्री संदीप मालवीय, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट का रायसेन से नीमच स्थापना पर रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/3506, दिनाँक 14.7.2022 द्वारा किया गया स्थानान्तरण, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(जी) श्री सुरेन्द्र कुमार रजक, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक जिला स्थापना, शहडोल का स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत **निरस्त** किया जाता है।

(एच) जिला एवं सत्र न्यायालयों एवं कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापनाओं पर पदस्थ निम्नलिखित उपप्रशासनिक अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण किये जाने संबंधी अभ्यावेदन विचारोपरांत **निरस्त** किये जाते है।

क्र.	**उपप्रशासनिक अधिकारी का नाम**	**वर्तमान पदस्थापना**
1	श्री सुभाष कुमार रैदास	कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर
2	श्री प्रमोद कुमार प्रजापति	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़
3	श्री देव कुमार शर्मा	ग्वालियर
4	श्री राजेश श्रीवास्तव	सागर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

19.9.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ.क्र. ....**बी / 4528**........... /　　　　　　　　जबलपुर, दिनाँक **19** सितम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश; मंदसौर, सिंगरौली, सागर, दतिया, उज्जैन, रीवा, अनूपपुर, जबलपुर, रायसेन, नीमच, शहडोल, ग्वालियर;
(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय; जबलपुर, टीकमगढ़;
(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर एवं
(4) रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से पदोन्नत / स्थानान्तरित कर्मचारियों को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर **दिनाँक 01.10.2022** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यह भी अनुरोध है कि जिन कर्मचारीगण के अभ्यावेदन निरस्त किये गये है, उनको भी निरस्ती की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि पदोन्नत / स्थानान्तरित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित प्रतिवेदन रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

19.9.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

* * * * *